सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सभी अल्टरनेटिव/इलेक्ट्रोहोम्यो पैथिक चिकित्सको को सूचित किया जाता है कि बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि दिनांक 01/05/2018 को माननीय दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सुप्रीम कोर्ट) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने एक वार पुनः अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोहोम्यो पैथी के प्रैक्टिसनर्श के पक्ष में फैसला दिया है अर्थात संपूर्ण भारत में कहीं पर भी इलेक्ट्रोहोम्यो पैथी अल्टरनेटिव मेडीसिन से प्रैक्ट्रिस की जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का तीसरा फैसला है, ज्ञातव्य हो कि श्री दीपक मिश्रा जी म.प्र. हाईकोर्ट में लगभग 17 वर्षो तक सेवाएँ देते रहे उन्होंने ही डॉ. के.के. पाठक द्वारा दायर एक याचिका में अल्टरनेटिव चिकित्सकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया था एवं डॉ. के.के. पाठक द्वारा दायर अवमानना याचिका पर भी दोवारा अपना फैसला दिया था जो आज भी लागू है उसी परिवेश मे माननीय दीपक मिश्रा जी ने पुनः 01/05/2018 को एक और फैसला दिया है जिसमें समस्त अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोहोम्यो पैथिक चिकित्सको को लाभ मिला है।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.4642 OF 2018
(Arising out of S.L.P.(C) No.20134 of 2017)

Smt. Sutapa Sinha **Appellant(s)**

Versus

State of U.P. and Others **Respondent(s)**

O R D E R

Leave granted.

Heard Mr. Pankaj Bhatia, learned counsel for the appellant and Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Advocate General for the State of U.P.

Though many an aspect was urged before the High Court and it has also addressed the same by the impugned order, yet the singular issue that has been canvassed before us pertains to whether there has been ban in practicing Electro Homeopathy as an alternative therapy.

A similar matter had come up before this Court in S.L.P.(C) No.23572 of 2009, wherein a counter affidavit was filed by the Union of India stating that there was no ban on the practice of Electro Homeopathy and on that basis the special leave petition was withdrawn.

Signature invalid

Learned counsel for the appellant has also brought to our notice Office Memorandum dated 15th December, 2011 issued by the Uttar Pradesh Government Medicine Section – 6, which states that there is no proposal to stop the appellant from practicing in electropathy or imparting education, as long as the same is done with the provisons of the order No.R.14015/25/96-U 85 H (R) (Pt) dated 25.1.2003. There is no dispute that the said system of therapy has not yet been recognized for the purpose of conferring any diploma or degree.

In view of the aforesaid, no institution can confer a diploma or degree in Electro Homeopathy. However, as this Court has observed on an earlier occasion that there is no ban, the appellant can always practice Electro Homeopathy as an alternative therapy, but no effort can be made to confer diploma or degrees unless there is a statutory provision permitting the same. We may hasten to clarify that there are alternative therapies like aroma therapy, stone therapy, music therapy, hypnotherapy, touch therapy and colour therapy and they are actually non-invasive and in no way relate to administration of medicine. Therefore, we are disposed to think that the Union of India has not banned them.

In view of the aforesaid analysis, we only modify the order passed by the High Court to the extent that the appellant can provide an alternative therapy so long as it is not banned by any competent authority. Without possessing a degree or diploma recognized by a legislation enacted by the competent legislature, the appellant would not be entitled to practise medicine. We also clarify that no degree or diploma can be conferred otherwise than what is permitted or recognised in law. The undertaking furnished to the High Court shall be complied with.

With the aforesaid modification in the order passed by the High Court, the appeal stands disposed of. There shall be no order as to costs.

.....CJI.
[Dipak Misra]

.....J.
[A.M. Khanwilkar]

.....J.
[Dr. D.Y. Chandrachud]

New Delhi,
May 01, 2018.

ITEM NO.9 COURT NO.1 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No.20134/2017

(Arising out of impugned final judgment and order dated 09-01-2017 in SAD No. 839/2011 passed by the High Court of Judicature at Allahabad)

SUTAPA SINHA Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF U.P Respondent(s)

(With appln.(s) for c/delay in filing, deleting the name of respondent and early hearing)

Date : 01-05-2018 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR
HON'BLE DR. JUSTICE D.Y. CHANDRACHUD

For Petitioner(s) Mr. Pankaj Bhatia, Adv.
Mr. Nipun Goel, Adv.
Mr. Dhruv Surana, Adv.
Mr. Ashish Choudhury, Adv.
Ms. Bharti Tyagi, AOR

For Respondent(s) Ms. Aishwarya Bhati, AAG
Mr. Meru Sagar Samantry, Adv.
Mr. Ashutosh Kumar Sharma, Adv.
Mr. Ankur Prakash, AOR

Dr. Kailash Chand, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

The interlocutory application for deleting the name of the respondent No.5 stands allowed.

Leave granted.

The appeal is disposed of in terms of the signed order.

(Chetan Kumar)
Court Master

(H.S. Parasher)
Assistant Registrar

(Signed order is placed on the file)

Legal -

No.V.25011/276/2009 HR
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Deptt. of Health Research)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 6 Feb, 2013

To

Dr. S.K. Pathak ,
EWS 245 Vikas Nagar,
Bistar (Baragdava)
Electrohomoeopathic Committee,
Dewria, Ansari Road,
Dewria, Uttar Pradesh 274001.

Sir,

Sub : Recognition of electrohomoeopathy reg.

I am directed to refer to letter dated 26th October, 2012 on the subject mentioned above and it is clarified that :-

(i) Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare has not recognized any institute which deals in Electo Homeopathy and any other alternative system of medicine including NEHM of India, H.O C-2, C/123, Janakpuri.

(ii) The draft of the Bill to recognize Alternative System of Medicine is under consideration of the Government.

Yours faithfully,

(R.K. Ahluwalia)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph: 2306184

1. Dr. A.K. Nagpal, CGHS II, Deputy Director (Head Office)Nirman Bhawan, New Delhi w.r.t letter no. C.13019/11/2004 CGHS,II, dated 27th October, 2012.
2. Hindi Section for hindi version.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/F/10–10/2017/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 14/11/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश।

2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषयः– फर्जी चिकित्सकों/झोलाछाप डॉक्टरों/मध्य प्रदेश में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही।

==0==

प्रदेश में अपात्र फर्जी चिकित्सकों, अन्य प्रदेश में पंजीकृत किन्तु मध्य प्रदेश में अमान्य चिकित्सा पद्धतियों, झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे चिकित्सक एलोपैथी पद्धति की औषधियां रोगियों को दे रहे है। बिना उपयुक्त ज्ञान के इस प्रकार का उपचार घातक होता है। ऐसे कई प्रकरण सामने आये है जहां अपात्र फर्जी चिकित्सकों द्वारा गलत इंजेक्शन देने से रोगियों को एब्सेस, गैंगरीन आदि हो गया है जिससे तथा गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से रोगियों की मृत्यु भी हो गई है।

02. उपरोक्त अपात्र व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे चिकित्सा व्यवसाय पर अंकुश लगाने के लिये विधि अनुसार निम्न प्रावधान उपलब्ध है :–

(1) **मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973** की धारा–3 के प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्र के समस्त उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना (नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय/परामर्श केन्द्र, औषधालय, प्रयोगशाला, एक्स–रे, डेन्टल क्लीनिक सहित सभी इस्टेब्लिशमेन्ट्स) उक्त एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति के बिना न खोले जा सकते है न रखे जा सकते है और न चलाये जा सकते है।

- उक्त धारा–3 के उल्लंघन करने पर अधिनियम–1973 की धारा–8 (क)(एक) तथा (दो) के अंतर्गत जो जुर्माने तथा 3 माह तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।

- **मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973** के अंतर्गत विधि अनुसार केवल निम्न मान्य चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत कार्यरत क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेन्ट्स/नर्सिंग होम आदि के पंजीयन का प्रावधान है।

अ. **आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी** :– इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1956 की धारा (15)1 के अंतर्गत मान्य अर्हताधारी को मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

ब. **भारतीय चिकित्सा पद्धति :–** इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु मध्य प्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के अंतर्गत शेड्यूल में उल्लेखित मान्य अर्हताधारी का बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एण्ड नेचुरोपैथी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

स. **होम्योपैथी एण्ड बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन :–** इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय हेतु होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 की दूसरी/तीसरी अनुसूची में मान्य अर्हताधारी का स्टेट काउन्सिल ऑफ होम्योपैथी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है।

(2) चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7–ग के अनुसार अभिदान "डॉक्टर" का उपयोग केवल उपरोक्त मान्य चिकित्सा पद्धतियों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स ही कर सकते है। अपात्र व्यक्ति द्वारा उक्त अभिदान का उपयोग चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 8(2) के अंतर्गत 3 वर्ष कारावास या रूपये 50,000 जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में केवल वे ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है जो **मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1965 की धारा–15(1)** में उल्लेखित अर्हताधारी होकर मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अपात्र एवं अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करने पर **मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987** की धारा–24 के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कठोर करावास तथा 5000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

(4) **"इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन"** :– देश के विधान अनुसार स्थापित चिकित्सा पद्धति नहीं है। इन पद्धतियों के व्यवसाईयों हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा नई दिल्ली द्वारा इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने संबंधी निर्देश है। किन्तु इन पद्धतियों के चिकित्सा व्यवसायी केवल अपनी पद्धति में ही चिकित्सा व्यवसाय कर सकते है। याचिका क्रमांक 502/99 (डॉ. मुकेश श्रीवास्तव विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन), 2957/94 (काउन्सिल ऑफ आल्टरनेटिव सिस्टम विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन), 2018/92 (नेशनल डेव्हलपमेंट सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन) एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 19.03.1999 के पैरा–10 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारियों के लिये निम्न व्यवस्था जारी की गई है :–

> "By way of abundant caution I may state that, in case, practitioners practice or impart education in the branches of Allopathy, Ayurvedic, Unani or Naturopathy which are regulated by various enactments, their action shall be totally illegal and the respondents are free to take actions against them in accordance with law."

क्योंकि "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारी मान्य पद्धतियों के अंतर्गत अर्हताधारी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार इनको यद्यपि इनकी विधा में चिकित्सा व्यवसाय की पात्रता है :–

(i) इनका पंजीयन मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम–1973 के अंतर्गत नहीं किया जाना है। किन्तु उक्त अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत इन पर कार्यवाही भी नहीं की जाएगी।

(ii) "इलेक्ट्रोहोम्योपैथी/आल्टर्नेटिव मेडिसिन" अर्हताधारी अभिधान "डॉक्टर" का उपयोग करने हेतु पात्र नही है। यदि यह अर्हताधारी अभिधान "डॉक्टर" का उपयोग करते है तो उपरोक्त पैरा 2 में प्रावधानानुसार इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए (याचिका क्रमांक 7352/07 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का आदेश दिनांक 22.07.2010)

03. कृपया उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जिले में फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। जिले में कार्यपालिक दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी का एक दल गठित कर फर्जी चिकित्सक/झोला छाप की पहचान कर उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही कर इन अपात्र चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें।

04. कृपया उक्त निर्देशों के अधीन 15 नवम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक अभियान चलाकर कार्यवाही की जाऐ तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को संलग्न प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक /05.10.10/2017/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 14/11/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर भेज कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कारने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

02. पुलिस महानिदेशक, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें की ओर प्रेषित कर लेख है कि किसी संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी को अभियान अवधि में की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग का कार्य सौंपे तथा समय–समय पर आप भी इसकी समीक्षा करें।

04. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर भेज कर निर्देश दिये जाते है कि वे जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों से सम्पर्क कर फर्जी चिकित्सकों द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय पर अंकुश लगाने हेतु जिला स्तर पर गठित दल के साथ कार्यवाही कर पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में कलेक्टर के माध्यम से जानकारी 10 जनवरी 2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dy.NO. 47/RTI/2011-H
Government of Indian
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
(Hospital Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 14th February , 2011.

To,

Sh.Ramesh Manju Parmar,
At- Mithapur, Area-Arambhada,
Th-Dwarka, Jamnagar,
Gujarat-361345

Subject:- **Application under RTI Act ,2005**

Sir,

With reference to your RTI application dated 15.12.2010 transferred from President's secretariat vide their letter No. 1590/RTI/12/10-11 dated 28.01.2011 received in this section on 09.02.2011, I am to inform you that as per section 2 © (i) and 2(h) of **the Clinical Establishment (Regulation & Registration) Act, 2010,** all recognized systems of medicine ie Allopathy, Yoga, Naturopathy, Ayurveda, Homeopathy, Siddha and Unani system of medicines or any other System of medicine as may be recognized by the Central Government, will be allowed for registration. On the issue of recognition of Electro-Homeopathy as recognized system of medicine, this Ministry has issued an order vide File No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 stating that Electro Homeopathy is not yet recognized as a system of medicine. **However, there is no bar on practicing electro homeopathy or imparting education (Copy enclosed).**

An appeal, if any , against this reply may be made to the Appellate Authority, Dr.Arun K. Panda, Joint Secretary, Department of Health & Family Welfare, within 30 (thirty) days of the receipt of this letter.

V.P.Singh
Deputy Secretary to the Govt. of Indian
Tel. No. 23062791

No:Ayur.H(B)(15)-10/07- RTI (OS) 4173
Directorate of Ayurveda
Himachal Pradesh.

......

To

Sh. Niranjan Ram,
C-2C/125, Pkt-12,
Janakpuri, New Delhi-58.

Dated, Shimla-171 009, the 15/3/12

Subject:- **Information under RTI Act-2005.**

Reference your application dated 17.02.2012 received in this department through PIO-cum-Under Secretary(Ayurveda) to the Govt. of HP to supply the information under RTI Act.

The requisite point wise information is as under:-

ख) It is informed that the instructions contained in Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health Research, New Delhi vide Order dated 5.5.2010 were circulated to all the District Ayurvedic Officers of the State Govt. by the Joint Secretary Ayurveda long back. The District Ayurvedic Officers are the Drug Inspectors declared by State Govt. for the purpose under the Drug & Cosmetic Act 1940-rules-1945. As the Electro Homoeopathy has been treated as a mode of treatment, the Registered Practitioners of Alternative Systems of Medicine have accordingly been authorised to practice this mode of treatment in view of GOI instructions contained in Order dated 5.5.2010.

घ) This is not covered in the Ambit of RTI Act/PIO.

Sd/-
14.3.2012
Assistant Director-cum
Public information officer
Directorate of Ayurveda
Dated, Shimla-9.

Address of the
Appellate Authority under R.T.I :-
Director Ayurveda H.P.
Block 26, SDA Complex
Kasumpati Shimla-9

Endst. No. As above
Copy to :

The PIO-cum-Under Secretary (Ayurveda) to the Govt.of H.P. Shimla-2. w.r.t. his letter No. Ayur-A(3)-1/2011 dated 5th March,11 for information.

Sd/-
Assistant Director-cum
Public Information Officer
Directorate of Ayurveda

(निसर्गोपचार) नॅचरोपॅथी चिकित्सा पध्दतीला महाराष्ट्र सरकारची मान्यता

"Naturopathy" as a system of Medicine Recognition of GOVERNMENT OF MAAHRASHTRA

Urban Development and Public Health
Department Resolution No. NCR-1077/6006/
PH-7 Mantralaya, Bombay-32
Dated: 1st December 1977

Read :

Endorsement No. NTY/1076/B, Dated the 2nd Sept. 1976 from the Director of Ayurved Bombay.

Unofficial Reference No. NTY-1076/10595/Ay-1 Dated the 22nd August 1977 from the Directors of Ayurved, Bombay Resolution : With a view to giving fillip to the indigenous system of medicine, the question of giving recognigation to Naturopathy as a system of medicine, was under consideration of Government for some time pass. Accordingly Government of Maharashtra has now decided to recognize "Naturopathy" as a system of medicine.

The Director of Ayurved is requested to take necessary follow up section and submit necessary proposals for implementation of the above decision of Government.

By Order and in the name of the
Governor of Maharashtra

Dr. N.H, Kulkarni
Deputy Secretary to Government

No.R.15016/2/2011-Y&N.

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

(Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani and Homoeopathy [Ayush])

2nd floor, Red Cross Building,
New Delhi - 110001
Dated : 11-11-2011

To

President

Dr. Hiralal Shukla

Maharshi Bhardwaj Akhil Bhartiya Rashtrabhasha

shiksha sansthan, Shahjahanpur (U.P.)

Sub.: Recognition of Ayurveda, Yoga & Naturopathy Diploma Course (Gurushishya Madhyam) regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter No. MBSS/01/2011 dated 01-11-2011 on the above-mentioned subject and to say that Ayurveda, Yoga and Naturopathy are recognized systems by Government of India. However no act has been made at the central level to regulate Diploma Course and practice in Ayurveda, Yoga & Naturopathy. As such no objection Ayurveda Diploma Course (Gurushishya Madhyam) Permission from the Government of India is not required for starting Ayurveda Diploma College on date.

Yours Faithfully

(ANSHUMANN SHARMA
under secretary [Y&N])

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

दूसरी मंजिल, आई आर सी एस बिल्डिंग
1, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक :- 13 जून, 2018.

सेवा में,

श्री चंद्रशेखर शेलके,
सैक्टर - 12, डी. 36/3,
स्वामी विवेकानन्द नगर,
हुडको, औरंगाबाद,
महाराष्ट्र - 431001.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 06/05/2018 का अवलोकन करें जोकि इस विभाग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16/05/2018 संख्या 61/7/2006/बीएमएस/टीआरएम के तहत दिनांक 29/05/2018 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ले ।

2. इस विभाग ने 28.02.2017 के एक नोटिस जोकि इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है के माध्यम से- - नई चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्तावों को आमंत्रित किया था, जिनकी जॉच अन्तर-विभागीय समिति द्वारा की जानी है । वर्तमान में, नई चिकित्सा प्रणालियों के रूप में एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रोहोमोयोपैथी की मान्यता के लिए प्राप्त प्रस्ताव समिति के विचाराधीन हैं। अंतिम निर्णय में समय लग सकता है।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हो, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी अपील 30 दिन के अंदर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमती इन्दिरा शर्मा, उप-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, दूसरी मंजिल, आई आर सी एस बिल्डिंग, 1, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत कर सकते है ।

भवदीय
13/6
(ओम प्रकाश)
अवर-सचिव एवं जन सूचना अधिकारी (भारत सरकार)
दूरभाष:-23736090

प्रति:-

श्रीमती रजनी कौल, जन सूचना अधिकारी एवं वैज्ञानिक डी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029 - पत्र दिनांक 16/05/2018 संख्या 61/7/2006/बीएमएस/टीआरएम के संबंध में सूचनार्थ ।